न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 115/2021
दायरी दिनांक : 21.06.2021

उनवान

1. बाबूपुरी पुत्र केसरपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम नटवाड़ा तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
2. बद्रीपुरी पुत्र केसरपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम नटवाड़ा तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
3. रमेशपुरी पुत्र केसरपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम नटवाड़ा तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरा बोकण पुत्र रामगोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भैंरूगंज तहसील व जिला टोंक (राज0)
2. श्रवणलाल पुत्र रामगोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भैंरूगंज तहसील व जिला टोंक (राज0)
3. तहसीलदार निवाई

–अप्रार्थी

उपस्थितिः–

1. श्री सीताराम शर्मा (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री राम कल्याण पूनियां (अधिवक्ता अप्रार्थीगण क्रम संख्या 1 एवं 2)।
3. तहसीलदार निवाई की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः– 18.08.2021

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की ग्राम नटवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1844/1 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा कुल किता एक कुल रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि के आस–पास के खातेदार जबरन प्रार्थीगण की कृषि भूमि को दबाने पर आमादा है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि की मेर व डोल को तोड़ने फोड़ने पर आमादा रहते है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नहीं रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। नियमानुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामकल्याण पूनियां द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में कही भी खसरा नम्बर 1844/1 से लगवा आराजी खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि प्रश्नगत आराजी से लगते हुए खसरा नम्बरों का उल्लेख किया जाता तो अप्रार्थीगण द्वारा भी अपने खसरा नम्बर की नाप करवाई जाकर तसल्ली की जाती। यदि प्रकरण में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं एवं प्रार्थीगण की भूमि पड़ौस के किसी भी खातेदारी भूमि में आती है तो प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि का कब्जा ले लिया जावेगा एवं जिस व्यक्ति की खातेदारी भूमि मौके पर कम पड़ेगी तो उस व्यक्ति से प्रार्थीगण का विवाद होगा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 18.08.2021 को पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार निवाई की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु कथन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अभिलिखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा विवादित खसरा नम्बर 1844/1 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा की पत्थरगढ़ी करवाई जाती है एवं यदि उनकी कृषि भूमि किसी अन्य खातेदार की कृषि भूमि में आती है तो प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का कब्जा लेगें एवं इस प्रकार मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 419, शपथ पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं। कोई भी सद्भावी खातेदार अपनी खातेदारी में स्थित कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवा सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी करवाये जाने बाबत है यदि पत्थरगढ़ी करवाये जाते समय प्रार्थीगण की भूमि किसी अन्य भूमि में निकलती है तो पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थीगण को किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी भूमि का कब्जा नहीं दिलवाया जा सकता है। अतः न्यायालय के मतानुसार प्रकरण में प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं ग्राम नटवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1844/1 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा कुल किता एक कुल रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है। भूमि बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कमिश्नर फीस रू. 500/– वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार निवाई को लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 18/8/2021 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई